प्रेस नोट
जनपद संकबीरनगर
दिनाँक 06.06.2026

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत थाना महुली पुलिस द्वारा साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 21,000/- रुपये की धनराशि कराई गई वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे क्रैक साइबर क्राइम अभियान के अन्तर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु साइबर क्राइम हेल्प डेस्क थाना महुली पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 21,000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण :- वादी श्री अखिलेश यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी कलान थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा गेम ऐप डाउनलोड करके साईन ईन किया तो उसका ई-मेल हैक हो गया और खाते से पैसे निकल गये, जिसकी शिकायत वादी द्वारा साईबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 पर दिनाँक 24.11.2025 को करते हुए साईबर थाना महुली को सूचना देकर पुलिस से सहायता की मांग की गयी।

शिकायत प्राप्त होने पर थाना महुली पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित बैंकिंग एवं तकनीकी माध्यमों से तत्काल आवश्यक कार्यवाही की गयी। निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप दिनाँक 05.06.2026 को पीड़ित के खाते में ₹21000/- की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गयी।

रिकवर कराने वाले अधि0/कर्मचारीगण:- थानाध्यक्ष श्री दुर्गेश पाण्डेय, उ0नि0 श्री अनुज यादव, का0 अंकित पटेल, का0 सोनू यादव, का0 मनोज यादव, म0का0 कमलेश कुमारी।

जनपद पुलिस की अपील :- जनपद पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर विश्वास न करें तथा अपनी बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन किसी के साथ साझा न करें। सावधानी ही सुरक्षा है।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए एक अदद अवैध देशी तमंचा .12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री दुर्गेश पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अभियुक्त नाम पता राजाबाबू पुत्र रामभवन निवासी भैंसहीजोत कला थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को दिनाँक 05.06.2026 को कुर्मियाना टोला से महुली मार्ग से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना महुली पर मु0अ0स0 243/2026 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-
राजाबाबू पुत्र रामभवन निवासी भैंसहीजोत कला थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अदद अवैध देशी तमंचा .12 बोर
- 01 अदद जिंदा कारतूस .12 बोर

पुलिस टीम का विवरण:- - उ0नि0 श्री सोमनाथ मिश्रा, हे0का0 आनन्द दूबे, रि0का0 अनूप तिवारी, रि0का0 निखिल शुक्ला।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर सेल थाना दुधारा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वापस कराई गई 35,000 रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर सेल थाना दुधारा की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए त्रुटिवश अज्ञात व्यक्ति के बैंक खाते में गयी 35,000रु0 की धनराशि वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- आज दिनाँक 06.06.2026 को आवेदक श्री महफूज अहमद निवासी चोरहा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा साइबर सेल थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर में शिकायत दर्ज कराई गयी कि उनके द्वारा अपने मोबाइल फोन से ₹35,000/- की धनराशि स्थानांतरित की जा रही थी, जो त्रुटिवश किसी अज्ञात व्यक्ति के बैंक खाते में चली गयी। शिकायत प्राप्त होने पर साइबर सेल थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर की टीम द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक एवं साइबर पोर्टल के माध्यम से समन्वय स्थापित किया गया। त्वरित एवं प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप आवेदक की सम्पूर्ण धनराशि ₹35,000/- वापस कराई गयी। अपनी धनराशि वापस प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा जनपद पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर टीम में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण :- उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा (प्रभारी साइबर सेल थाना दुधारा), आरक्षी अनुज कुमार, आरक्षी ऋषिकेश यादव, रि0म0आरक्षी एकता सिंह, रि0आरक्षी हर्ष सिंह राजकुमार।

जनपदीय पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप घर में घुसकर मारपीट करने, गाली व धमकी देने के मामले में 02 अभियुक्तों जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 7,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 05.06.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 7,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री रामनरायन राय पुत्र धनुषधारी राय निवासी खाजो थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्तगण 01. सुबाष पुत्र नकछेद 02. अश्वनी कुमार पुत्र सुबास राय निवासीगण खाजो थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी व वादी के परिजनों को भद्दी भद्दी गाली व धमकी देते हुए घर में घुसकर मारने पीटने के सम्बन्ध में थाना धनघटा पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री गोकर्ण सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 9A/2003 धारा 147, 323, 452, 504, 506 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण सुबाष व अश्वनी कुमार उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा धारा 147, 452, 323, 504, 506 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि व प्रत्येक को 3500-3500 रुपये (कुल 7000रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 410/2026 धारा 69, 87, 352, 351(3) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सुरेन्द्र कुमार उर्फ राजन पुत्र स्व0 रामरतन निवासी डडवा चमरसन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनाँक 05.06.2026 को टिकट चौराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की पुत्री का अपहरण करने व गाली, धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। साक्ष्य संकलने के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रभान्शु कुमार राय, का० सचिन व का0 चन्द्रशेखर यादव।

मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना महुली पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर गुमशुदा युवती को सकुशल बरामद कर परिजनों के किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली *श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में थाना महुली पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सराहनीय कार्य करते हुए गुमशुदा युवती को 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया।

दिनांक 05.06.2026 को समय लगभग 03:10 बजे ग्राम अजाव थाना महुली जनपद संतकबीरनगर निवासिनी महिला द्वारा थाना महुली पर सूचना दी गई कि उनकी पुत्री दिनांक 04.06.2026 को घर से बिना बताए नाराज होकर कहीं चली गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना महुली पर गुमशुदगी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना महुली पुलिस द्वारा तत्काल खोजबीन प्रारम्भ की गई। पुलिस टीम ने विभिन्न संभावित स्थानों पर तलाश करते हुए अथक प्रयास एवं प्रभावी कार्रवाई के फलस्वरूप दिनांक 06.06.2026 को गुमशुदा युवती को सकुशल बरामद कर लिया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत युवती को उसकी माता के सुपुर्द कर दिया गया।
युवती की सकुशल बरामदगी पर परिजनों द्वारा संतकबीरनगर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम : उ0नि0 श्री सोमनाथ मिश्रा, महिला कांस्टेबल पल्लवी, महिला कांस्टेबल ललिता यादव

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं संरक्षण के साथ-साथ गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश हेतु अभियान निरंतर चलाया जा रहा है।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया निरुद्ध

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष दुधारा *श्री अमित कुशवाहा* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 06.06.2026 को मु0अ0सं0 231/2026 धारा 65(1), 115(2) बीएनएस व 5 L/6 पाक्सो एक्ट थाना दुधारा से सम्बन्धित वांछित बाल अपचारी को ग्राम हुजुरा सुहावां नहर पुलिया के पास से अभिरभा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 03.06.2026 को थाना दुधारा पर उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनाँक 06.06.2026 को उक्त बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

अभिरक्षा में लेने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष दुधारा श्री अमित कुशवाहा, का0 रंजन कुमार सिंह, रि0का0 शिवदत्त तिवारी।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष बखिरा *श्री उमाशंकर त्रिपाठी* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 06.06.2026 मु0अ0सं0 220/2026 धारा 65(1)/351(3)/127(2) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट थाना बखिरा से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आलोक उर्फ कृष्ण गोपाल पुत्र श्री मृत्युंजय प्रसाद निवासी मेड़रापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को सहजनवा तिराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 05.06.2026 को थाना बखिरा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनाँक 06.06.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभिरक्षा में लेने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष बखिरा श्री उमाशंकर त्रिपाठी, हे0का0 रमेश मिश्रा, रि0का0 मो0 अजहर, म0का0 पूजा पर्वत।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 214 वाहनों से 2,25,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 06.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 214 वाहनों से 2,25,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।